



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56699-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 210 सन् 2026

जितेंद्र कुमार मिश्रा

.....अपीलकर्ता

बनाम

शिवकांत शुक्ला और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता :

रमेश चंद्र द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता :

सी.एस.सी., सौरभ त्रिपाठी

साथ में

विशेष अपील संख्या - 204 सन् 2026

प्रबंधन समिति, आचार्य रामचंद्र शुक्ला अंतर महाविद्यालय

.....अपीलकर्ता

बनाम

शिवकांत शुक्ला और 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता :

अखिलेश कुमार सिंह, अशोक कुमार पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी., -सौरभ त्रिपाठी

न्यायालय संख्या -3

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

1. हमने विशेष अपील संख्या 210 सन् 2026 में निजी प्रतिवादी/अपीलकर्ता जितेंद्र कुमार मिश्रा के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, विशेष अपील संख्या 204 सन् 2026 में प्रबंधन समिति/प्रतिवादी-अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह और मूल याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ त्रिपाठी द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभाकर अवस्थी की दलीलें सुनीं।

2. वर्तमान अंतर-अदालती अपीलें शिवकांत शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य: 2026:एचसी:18754 मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28.01.2026 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं। उस आदेश द्वारा, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया गया है:-

"उपरोक्त परिस्थितियों में, इस रिट याचिका का निस्तारण इसमें की गई प्रार्थना के अनुसार इस निर्देश के साथ किया जाता है कि आज से सात दिनों के भीतर, जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया, उपरोक्त संदर्भित प्रावधानों के अनुसार तथा प्रबंधन समिति को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक आदेश पारित करेंगे, जो रिट-ए संख्या 14306/2025 में दिए गए निर्णय के परिणाम के अधीन होगा।"

3. यह निवेदन किया गया है कि जितेंद्र कुमार मिश्रा, प्रतिवादी/अपीलकर्ता को 16.10.2019 को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने की अंतरिम व्यवस्था नवंबर 2024 तक अप्रतिबंधित रही। फिर, पहली बार मूल याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा ऐसी चुनौती उठाई गई थी।

4. मूल याचिकाकर्ता की ओर से जारी कुछ निर्देशों के मद्देनजर, दिनांक 16.04.2025 का आदेश उनके पक्ष में पारित किया गया। रिट-ए संख्या 14306/2025 में पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसी बीच, प्रबंधन समिति ने दिनांक 30.11.2025 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, जिला विद्यालय



निरीक्षक ने दिनांक 14.01.2026 के आदेश द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह आदेश अंतिम हो चुका है।

5. इन तथ्यों के मद्देनजर, न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि मूल याचिकाकर्ता 31.03.2026 को सेवानिवृत्त होने वाला है।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल याचिकाकर्ता ने दावा किए जाने के बाद से कभी भी कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य नहीं किया है, और यह भी ध्यान में रखते हुए कि तब से लगभग सात वर्ष बीत चुके हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में, ऐसा प्रतीत होता है कि इस विलंबित स्तर पर ऐसे दावे पर विचार करने की अनुमति देना उचित नहीं है।

7. मामले की सुनवाई के दौरान, सभी अधिवक्तागण ने इस बात पर सहमति जताई कि मूल याचिकाकर्ता शिवकांत शुक्ला द्वारा दायर दावे पर अब गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना संभव नहीं है। वे अभी भी नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याता हैं। उन्होंने कभी भी उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है।

8. प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि मूल याचिकाकर्ता शिवकांत शुक्ला को संस्था में कार्य करने और 31.03.2026 को गरिमापूर्ण तरीके से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाएगी और उनकी सभी सेवा और सेवानिवृत्ति देय राशि की गणना की जाएगी और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।

9. प्रतिवादी/अपीलकर्ता जितेंद्र कुमार मिश्रा के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र द्विवेदी ने भी आश्वासन दिया कि वे रिट-ए संख्या 14306/2025 में कोई राहत नहीं मांगेंगे, जो आज तक लंबित हो सकती है।

10. इस प्रकार पक्षकारों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे मूल याचिकाकर्ता शिवकांत शुक्ला, जिन्होंने संस्था में व्याख्याता के पद पर कार्य किया था, की सेवा शर्तों के संबंध में या उस संस्था के कार्यवाहक प्रभार के संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं चलाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. दिनांक 28.01.2026 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

12. उपर्युक्त विशेष अपीलों तथा रिट याचिका का उपरोक्त तरीके से निस्तारण किया जाता है।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

गौरव कुल्स

Translated Version. Not for Legal Use.